65

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 623—पीबीआर/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16—01—2013 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज जिला—विदिशा के प्रकरण क्रमांक 44/2011—12/अपील

.....

कस्तुरीबाई विधवा रामचरण कुशवाह
निवासी—ग्राम गुना, जिला— गुना (म0प्र0)

..... आवेदिका

विरूद्ध

1— जयराम पुत्र प्रभूलाल विश्वकर्मा
निवासी— ग्राम— बामोरीशाला
तहसील— सिंरोज, जिला—विदिशा (म0प्र0)

2— सुरजोबाई पुत्री धुन्धी
निवासी— ग्राम खजूरियाकलां
जिला— अशोकनगर (म0प्र0)

3— बाबूलाल पुत्र मनमोहन (मृतक) वारिसानः—

1— ओमप्रकाश

2— बृजकृष्णा पुत्रगण स्व. श्री बाबूलाल
निवासी— ग्राम बामोरीशाला
तहसील— सिरोंज जिला विदिशा (म0प्र0)

3— शशिबाई पुत्री स्व. श्री बाबूलाल
ओम कलोनी, अशोकनगर (म0प्र0)

4— उर्मिला बाई पुत्री स्व. श्री बाबूलाल
निवासी— अतिवाताल, झांसी (उ0प्र0)

5— कांतीबाई पुत्री स्व. श्री बाबूलाल
निवासी— कणसी तहसील— सिरोंज
जिला—विदिशा (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपाई, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0 शर्मा, अनावेदक क्र0 1
शेष अनावेदकगण पूर्व से एक पक्षीय है

.....

आदेश

(आज दिनांक 3-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज जिला–विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–01–2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षिप्त यह है कि ग्राम बामोरीशाला स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 92 रकबा 1.492 है0 पर आवेदिका एवं अनावेदिका क्र0 2 सरजोबाई पुत्री धुन्धी ने उक्त भूमि पर फौती नामांतरण कराने हेतु नायब तहसीलदार, मण्डल–4 सिंरोज के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । उक्त भूमि आवेदिका के पति एवं अनावेदिका क्र0 2 के पिता के भूमिस्वामियों स्वत्व की भूमि थी। उनका देहांत हो चुका था । आवेदिका एवं अनावेदिका क्र0 2 मृत भूमिस्वामियों के उत्तराधिकारी थे। नायब तहसीलदार, सिंरोज के समक्ष अनावेदक क्र0 3 बाबूलाल (जो वर्तमान प्रकरण में मृत हो चुके है) ने स्वयं को पक्षकार बनाये जाने हेतु एक आवेदन पत्र आदेश 1 नियम 10 का प्रस्तुत किया । तहसील न्यायालय द्वारा बाबूलाल के आवेदन–पत्र को स्वीकार करते हुये उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया गया । इसी दौरान अनावेदक क्र0 1 जयराम पुत्र प्रभूलाल विश्वकर्मा द्वारा पक्षकार बनाये जाने बावत आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो विचारोपरांत निरस्त किया गया । आवेदिका कस्तूरीबाई ने एक विचारण न्यायालय में एक आवेदन पत्र पेश किया कि अनावेदिका क्र0 2 सरजोबाई मृत धुन्धी की पुत्री नहीं है । मृतक धुन्धी की कोई संतान नहीं थी, इस कारण धुन्धी के स्थान पर आवेदिका का नामांतरण किया जावे । विचारण न्यायालय ने इस संबंध में पटवारी से रिर्पोट मंगायी। पटवारी द्वारा आवेदिका को तो रामचरण का उत्तराधिकारी बताया गया, परन्तु अनावेदिका क्र0 2 सरजोबाई के बारे में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार, सिंरोज द्वारा अनावेदक क्र0 3 बाबूलाल जो कि अधिपति कृषक गैर अंकित था, उसे भूमिस्वामि अधिकार प्रदान करते हुये दिनांक 22.12.08 को आदेश पारित कर नामांतरण स्वीकर किया गया । इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदिका क्र0 2 सरजोबाई द्वारा अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सिंरोज के समक्ष

प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 119/अपील/08–09 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 30.09.10 को आदेश पारित करते हुये, विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.08 निरस्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये, प्रकरण इस निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्षों को अपनी बात सिद्ध करने का पूर्ण अवसर देकर मृतकों के वारिसानों के नाम विधिवत नामांतरण करें। अनुविभागीय अधिकारी सिंरोज के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.10 के पालन में नायब तहसीलदार सिंरोज द्वारा पुनः प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षों को आहूत किया गया । अनावेदक क्र0 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । अनावेदक क्र0 1 जयराम पिता प्रभूलाल को विधिवत सूचना दिया गया। सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही विचारण न्यायालय द्वारा की गई । अनावेदिका क्र0 1 सरजोबाई तथा उसके साक्षी के कथन लिये गये। प्रकरण में विचारोपरांत संहिता की धारा 109 एवं 110 के तहत दिनांक 28.02.11 को विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुये आवेदिका कस्तुरीबाई का नामांतरण स्वीकार किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 जयराम द्वारा अपील पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 44/2011–12/अपील पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 16.01.2013 से अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी, सिंरोज के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2011 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा दिनांक 04.11.2012 को अर्थात 1 वर्ष 9 माह पश्चात प्रस्तुत की गई अपील को बिना पर्याप्त कारण दर्शाये समयावधि में माने जाने का विवादित आदेश पूर्णतः मनमाना है तथा स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, अनुविभागीय अधिकारी, के समक्ष अनावेदक–1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा–5 अवधि विधान का आवेदक ने समुचित उत्तर प्रस्तुत किया था, जिसका उल्लेख तक विवादित आदेश में नहीं है इस कारण भी विवादित आदेश अवैध आदेश की परिभाषा में आता है । अनुविभागीय अधिकारी, सिंरोज के समक्ष आवेदक ने विलम्ब के बिन्दू पर जो उत्तर एवं तर्क प्रस्तुत किये थे, उनकी विवेचना किये बिना तथा कोई कारण दर्शाये अनावेदक 1 के आवेदन को स्वीकार करने का विवादित आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है तथा न्यायालीन प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदक ने अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन जो उत्तर प्रस्तुत किया था, उसमें स्पष्ट अभिकथन किया थ,ा कि तहसील न्यायालय

अनावेदक को विधिवत सूचना भेजी गयी थी, सुचना प्राप्ती के पश्चात भी उसके उपस्थित न होने पर तहसील न्यायालय ने नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये, आदेश पारित किया था । उक्त स्थिति में संहिता की धारा–41 के अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार अनावेदक–1 द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु समयावधि की गणना आदेश के दिनांक से की जानी चाहिये थी, ना कि जानकारी के दिनांक से, अनावेदक 1 द्वारा विलम्ब क्षमा हेतु जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उसके पढ़ने मात्र से स्पष्ट है कि उसमें मिथ्या एवं बनावटी आधार लिये गये थे । अनावेदक 1 के अनुसार उसने दिनांक 08.12.2011 को पटवारी से खसरे की प्रतिलिपि ली एवं दूसरे ही दिन 09.12.2011 को कम्प्यूटर से प्रतिलिपि ली एक दिन के अतंराल पर पुनः प्रतिलिपि लेने का कोई कारण आवेदन में नहीं दर्शाया गया । अपील को समयावधि में प्रस्तुत करने हेतु जो कारण आवेदन में वर्णित था उस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेक का प्रयोग किये बिना आदेश पारित किया है। ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । परिणामतः निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का तथा साथ ही आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य न मानते हुये, निरस्त किये जाने का निवेदन किया है ।

5/ मेरे द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रकरण में नायब तहसीलदार, सिंरोज के द्वारा दिनांक 28.02.2011 को जो आदेश पारित किया गया था, उसकी जानकारी अनावेदक क्र0 1 जयराम को नहीं रही है । दिनांक 08.12.2011 को पटवारी द्वारा ग्राम बमोरीशाला के सर्वे नं0 92 रकबा 1.492 है0 में जो प्रतिलिपि दी गई है, उसमें अनावेदक क्र0 1 जयराम भूमिस्वामी दर्ज है । अनावेदक क्र0 1 ने दिनांक 09.12.2011 को कम्प्यूटर की नकल हेतु आवेदन प्रस्तत कर खसरा नकल प्राप्त की, तब उसे 28.02.2011 के आदेश की जानकारी हुई। अनावेदक द्वारा दिनांक 04.01.2012 को अपील प्रस्तुत की गई । इस प्रकार अनावेदक ने आदेश की जानकारी से अवधि के अन्दर ही अपील प्रस्तुत की है। सद्भावना पर आधारित होने से विलम्ब माफ किये जाने योग्य है। अनुविभागीय ने अनावेदक के पक्ष में सही निष्कर्ष निकाला है ।

6/ जहॉ तक आवेदिका के हित का प्रश्न है, आवेदिका ने प्रकरण में ऐसा कोई प्रमाण ही प्रस्तुत नहीं किया, जिससे की यह स्पष्ट हो सके की आवेदिका ही मृतक धुन्धी की वारिस

विधवा उत्तराधिकारी है । विचारण न्यायालय ने इस संबंध में पटवारी से रिर्पोट मंगायी। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट में आवेदिका को रामचरण का उत्तराधिकारी बताया गया है। जब आवेदिका रामचरण की विधवा है तो वह धुन्धी की वारिस कैसे हुई। यह प्रश्न विचारणनीय है। इसी स्तर पर विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार सिंरोज द्वारा अनावेदक क्र0 3 बाबूलाल (जो वर्तमान प्रकरण में मृत है) जो कि अधिपति कृषक गैर अंकित था, उसे भूमिस्वामि अधिकार प्रदान करते हुये दिनांक 22.12.08 को आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने भी प्रकरण को सद्भावना पर आधारित होने से विलम्ब माफ किया है। अतः मैं अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–01–2013 से सहमत हूँ ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार अनुविभागीय अधिकारी, सिंरोज के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–01–2013 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त सारहीन होने से निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर